महिलाएँ आगे आएं
भारत डोगरा

# महिलाएँ आगे आएँ

भारत डोगरा

अरुणोदय प्रकाशन

# महिलाएँ आगे आएँ तो पूरे समाज का भला है

हमारे देश में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति को सुधारने के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। कई अच्छे कानून भी बने हैं पर फिर भी पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वे अभी तक भेदभाव और उपेक्षा की शिकार हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार हमारे देश की लगभग 60 प्रतिशत महिलाएँ अभी तक निरक्षर हैं। उत्तर प्रदेश में 74 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 71 प्रतिशत, बिहार में 77 प्रतिशत, राजस्थान में 79 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। आठवीं योजना के दस्तावेज (1992) में बताया गया कि 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं में से मात्र 4.5 प्रतिशत ही 1950-51 में स्कूल में जाती थीं और 1989-90 तक यह प्रतिशत दस गुणा बढ़कर 44.5 प्रतिशत हो गया। इससे एक ओर तो यह पता चलता है कि 11 से 14 वर्ष की आधे से अधिक बालिकाएँ (55 प्रतिशत) वर्ष 1989 तक भी स्कूल नहीं जा रही थीं। इस तरह जहाँ एक ओर उपलब्धि है, वहाँ दूसरी ओर विफलताएँ भी कम नहीं हैं।

पोषण के क्षेत्र में विभिन्न सर्वेक्षणों से यही तसवीर उभर कर आती है कि अधिकतर परिवारों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को और

महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को बेहतर भोजन मिलता है। संकट के दिनों में (जैसा कि पश्चिम बंगाल में 1978 की बाढ़ के बाद की कठिन आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण में देखा गया) प्रायः बालिकाओं में कुपोषण की स्थिति अधिक विकट देखी गई है। पोषण के मामले में भेदभाव की दृष्टि से उत्तर भारत की स्थिति दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक चिंताजनक देखी गई है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा गया है कि महिलाओं की लड़कियों के स्वास्थ्य की (पुरुषों व लड़कों की तुलना में) उपेक्षा होती है तथा उन्हें इलाज के लिए डाक्टर के पास कम ले जाया जाता है या बहुत देर से ले जाया जाता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में भी हाल ही में दिल्ली के एक विख्यात अस्पताल के डाक्टरों ने बताया कि महिलाओं को इलाज के लिए कम लाया जाता है। प्रसूति सुविधाओं का बहुत अभाव है तथा बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देने के समय होती है। विवाह व पहला बच्चा होने के समय की उम्र कम होने के कारण भी अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। परिवार नियोजन के बारे में सही व सुरक्षित जानकारी का अभाव भी एक कठिनाई है।

इन सब समस्याओं का मिलाजुला असर यह है कि महिलाओं और लड़कियों की मृत्यु दर पुरुषों और लड़कों की मृत्यु दर की अपेक्षा कहीं

अधिक है। 25 प्रतिशत (चार में से एक) लड़कियों की मौत 15 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है।

एक जैसे कार्यों के लिए भी कई तरह के रोजगारों में महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है। ग्रामीण श्रम जाँच के आँकड़ों से पता चलता है कि 1974-75 में खेत मजदूरी के क्षेत्र में महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों की तुलना में दो-तिहाई मजदूरी मिलती थी। वैसे खेती के कई तरह के काम जो महिलाएँ करती हैं—जैसे धान रोपाई—इतने थका देने वाले होते हैं कि उनके लिए कम मजदूरी मिलना बहुत अन्याय है।

छँटनी या रोजगार कम होने के दिनों में प्रायः बेरोजगारी का पहला शिकार महिलाओं को ही बनाया जाता है, जैसा कि अनेक कपड़ा मिलों में हुआ है। यह विशेषकर उन महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायक है जिनपर परिवार की पूरी या प्रमुख जिम्मेदारी है। ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ रही है। विशेषकर उन इलाकों में जहाँ कठिन आर्थिक परिस्थितियों और पर्यावरण के गहराते संकट के कारण पुरुषों को रोजगारों की तलाश में लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है, तथा इनकी सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना जरूरी है।

अनेक स्थानों पर वन विनाश जैसे कारणों से महिलाओं को चारा व ईंधन लाने में पहले कठिन श्रम करना पड़ता है। जहाँ अनेक स्थानों पर पानी के नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ यह भी सच है कि

अनेक स्थानों पर, विशेषकर गर्मी के दिनों में कुओं व झरनों से पानी न मिल सकने के कारण महिलाओं को पहले से और दूर जाना पड़ता है। कुछ अन्य जगहों पर प्रदूषण के कारण यही स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में घास-चारे व पानी के संकट से महिलाओं का दैनिक जीवन बहुत कठिन हो गया है।

क्या विकास की जो प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है, उससे महिलाओं का कष्ट कम हो रहा है? पश्चिम बंगाल के भूमि सुधारों का बहुत नाम है और बीरभूमि जिले के दो गाँवों के विस्तृत अध्ययन में अमर्त्य सेन और सुनील सेन गुप्ता ने कुछ समय पहले ही बताया कि इनमें गरीब परिवारों को लाभ भी मिला है पर इसमें बालिकाओं के पोषण की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आ सका क्योंकि बालकों की अपेक्षा उनसे पोषण के मामले में भेदभाव होता रहा। पंजाब की हरित क्रांति का भी बहुत नाम है पर भारत के पोषण प्रतिष्ठान की पत्रिका ने बताया है कि जहाँ पुरुषों ने शराब व गैरजरूरी चीजों पर खर्च बढ़ा दिए वहाँ महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई। बी. होरोविज और मधु किश्वर द्वारा पंजाब के एक गाँव में किए गए एक विस्तृत अध्ययन से भी यही बात सामने आई है कि नशे का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, महिलाओं का गाँव में घूमना भी बहुत कठिन हो गया है (शराबियों के प्रकोप के कारण) व उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा हो रही

अ
आ
इ

है, गर्भावस्था के समय भी उन्हें विशेष पोषण नहीं मिलता है।

विकास का एक दूसरा पहलू है मीडिया का प्रसार। विशेषकर टेलीविजन में बढ़ती अश्लीलता व हिंसा के कारण महिलाओं से छेड़छाड़ व यौन-अपराधों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर मीडिया द्वारा जो जबरदस्त उपभोक्तावाद फैलाया जा रहा है, बहुत-सी महँगी नई उपभोक्ता वस्तुओं को बहुत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका असर दहेज समस्या व शादी ब्याह जैसे अवसर पर दिखाए गए लालच पर हो रहा है। दहेज के विरुद्ध प्रचार होने पर भी दहेज की समस्या बढ़ रही है, शादी ब्याह पर खर्च भी बढ़ रहा है। इसी कारण लड़कियों को शहरी परिवरों में भी बोझ माना जा रहा है व कानूनी रोक के बावजूद लिंग परीक्षण के बाद बहुत-सी भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं। जहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सा सुविधाओं की इतनी कमी है, वहाँ बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग भ्रूण हत्याओं के लिए हो रहा है।

अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर चलते हुए अपने आप ही महिलाओं की उपेक्षा और भेदभाव व उनसे हो रहा अन्याय दूर हो जाएँगे। दूसरी ओर यह संभावना भी बनी हुई है कि विकास के नियोजन में महिलाओं की समस्याओं और उनके दृष्टिकोण का विशेष ध्यान न रखा गया तो उनकी कुछ समस्याएँ पहले से और विकट भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए

परिवार के क्षेत्र में जहाँ नियोजन व कम सदस्यों के परिवार के महत्त्व को काफी समझा जा रहा है, वहाँ इस खतरे की ओर भी अनेक महिला संगठनों व स्वास्थ्य संगठनों ने ध्यान दिलाया है कि नारप्लांट जैसे कुछ ऐसे गर्भ-निरोधक महिलाओं पर थोपे जा रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। आधुनिकता का अनुचित अर्थ अपनाकर जिस तरह कुछ अपेक्षाकृत अधिक आय वाली महिलाएँ सिगरेट और शराब की ओर आकर्षित हो रही हैं, तो यह आधुनिकता भी उन्हें अनेक नई स्वास्थ्य समस्याओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं देने वाली है।

जरूरत इस बात की है कि एक ओर तो महिलाओं से हो रहे भेदभाव व अन्याय को दूर करने के सीधे प्रयास करें तथा दूसरी ओर पूरे विकास नियोजन में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इनका महिलाओं पर क्या असर होगा। यदि विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को बनाते समय महिलाओं से पूरा संवाद हो सके, इस बारे में उनकी जानकारी व सलाह अच्छी तरह से ली जाए तो इन योजनाओं को बेहतर बनाने में, इनके अच्छे परिणाम प्राप्त करने में बड़ी सफलता मिलेगी। विशेषकर जिन कामों में महिलाएँ सीधे-सीधे लगी हुई हैं, उनके बारे में उनकी राय लेना तो बहुत जरूरी है।

उदाहरण के लिए रसोई में अधिक धुएँ से महिलाओं को कितनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो जाती हैं पर इनकी उपेक्षा होती रहती है। स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं के बारे में उनसे निरंतर सलाह ली जाती, इस ओर जरूर अधिक ध्यान दिया जाता। इसी तरह हरित क्रांति जैसी नई तकनीकों के गाँव में व्यापक प्रसार का महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा। उनसे सलाह लिए बिना ही ऐसे कार्यों में बड़ा बदलाव हो गया जो परंपरागत तौर पर उन्होंने ही किए थे। बाद में इनमें से अनेक तकनीकों की कमजोरियाँ भी पता चलीं, उनके कई नुकसान भी सामने आए। यदि पहले ही इस बारे में खुली बहस होती और महिलाओं के विचारों को अधिक ध्यान से सुना जाता तो शायद कुछ ऐसी गलतियों से हम बच सकते, जो बाद में बहुत महँगी सिद्ध हुईं।

कोई भी ऐसी परियोजना जिसमें वनों का नुकसान होता हो महिलाओं को पसंद नहीं आएगी क्योंकि चारे, ईंधन, पानी लाने का संकट बढ़ जाएगा। शराब का ठेका गाँव के पास खोलने की बात हो तो सबसे अधिक विरोध तो महिलाओं की ओर से ही उठेगा क्योंकि शराब का प्रचलन बढ़ने के सबसे भयंकर परिणाम उनको ही भुगतने पड़ते हैं।

विभिन्न अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि परिवार की आमदनी का जो हिस्सा महिलाएँ कमाती हैं व जिस पर उनका नियंत्रण होता है प्रायः अधिक जरूरी खर्चों जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि

पर पड़ता है जबकि जिस पैसे पर पुरुषों का नियंत्रण होता है, उसके गैरखर्चे में लगने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं की बात सुनी, उनके रोजगार की रक्षा हो, उनका आमदनी पर नियंत्रण हो—तो यह उम्मीद बढ़ जाती है कि उपलब्ध आय का उपयोग ठीक से होगा, बच्चों के पोषण और शिक्षा की आवश्यकताएँ पूरी होंगी व शराब, जुए आदि पर फिजूलखर्ची नहीं होगी। अतः महिलाओं को परिवार व समाज में उचित स्थान मिलेगा तो उससे न केवल महिलाओं का भला होगा अपितु पूरे परिवार का भला होगा, पूरे समाज का भला होगा।

महिलाओं की यह भूमिका इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि जिन विभिन्न सार्थक जन आंदोलनों में महिलाओं को आगे जाने का अवसर मिला है उनमें उन्होंने बहुत जिम्मेदारी और साहस से भागीदारी की है। चिपको आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में उन्होंने दूर-दूर के जंगलों में बहुत कठिनाई का सामना करते हुए पेड़ों की रक्षा की। बहुत डराने-धमकाने पर भी वे अपने मोर्चे से नहीं हटीं। श्री शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो संघर्ष हुए, उनमें चाहे रोजगार बचाने का सवाल हो या शराब को दूर भगाने का, महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्साहवर्धक और सार्थक रही। शराब की बुराई को दूर करने के तो अधिकतर संघर्षों में चाहे वे आंध्र प्रदेश के हों या उत्तराखंड के या हरियाणा के, सबसे प्रखर और प्रमुख भूमिका महिलाओं ने निभाई है।

अनेक स्थानों पर जो साक्षरता अभियान इन दिनों चल रहे हैं, उनमें भी महिलाओं ने बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया है।

इधर पंचायती राज कानूनों में जो बदलाव आए हैं उनसे भी एक संभावना उत्पन्न हुई है कि महिलाओं की विकास और ग्रामीण जीवन में भागीदारी को आगे बढ़ाया जा सके। नए पंचायती राज कानून के द्वारा राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे महिलाओं के लिए पंचायतों में एक तिहाई (33 प्रतिशत) स्थान आरक्षित करें। वैसे तो पहले भी महिलाओं को पंचायत में भागीदारी देने के लिए व्यवस्था की गई थी पर वह इससे बहुत कम स्तर पर भी थी। उस सीमित व्यवस्था का भी प्रायः उचित उपयोग नहीं हो पाया था और कई बार महिला सदस्यों की उपस्थिति नाम मात्र को ही रह जाती थी। अब चूंकि महिला सदस्यों की संख्या काफी बढ़ रही है और वैसे भी कई स्थानों में पहले की अपेक्षा अधिक महिला जागृति दिखाई दे रही है तो कुछ उम्मीदें तो बँधती हैं इस नये कानून का बेहतर उपयोग संभव होगा। इसके लिए महिलाओं के अधिकारों और समता से जुड़े विभिन्न संगठनों को भरपूर जोर लगाना होगा। वैसे जब महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के अच्छे परिणाम पूरे गाँव समाज के लिए सामने आने लगेंगे, शराब जैसी कुरीतियों में कमी आने लगेगी तो महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी को परंपरागत लोगों में अधिक मान्यता मिलने की उम्मीद है। शुरू का कुछ समय जरूर कठिन है और इस समय विशेष प्रयास की आवश्यकता है। □□□